

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2013/1519

दिनांक:- 16/12/13

आदेश

आवासन मण्डल की खान भांकरी रोड, दौसा आवासीय योजना में उपलब्ध अधिशेष प्लिन्थ स्तर (उच्च आय वर्ग) के उपलब्ध 06 आवासों को निलामी के माध्यम से निस्तारण किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

निस्तारित किये जाने वाले आवासों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आय वर्ग	योजना का नाम	उपलब्ध सरप्लस (निरस्त/अवशिष्ट) आवासों के नम्बर	आवास संख्या
1.	उच्च आय वर्ग	खान भांकरी रोड, दौसा	01/125 से 01/130 तक	06
			कुल आवास =	06

उक्त आदेश को सक्षम स्तर से अनुमोदन है।

(डॉ० आर० वेंकटेश्वरन्)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वितीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता(मु०), प्रथम /द्वितीय/निदेशक(विधि)/मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (मु०)/प्रथम/द्वितीय,/पी.एण्ड.एम/अति० मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त वृत्त.....राजस्थान आवासन मण्डल,
6. आवासीय अभियन्ता खण्ड..... राजस्थान आवासन मण्डल.....
7. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
8. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज० आ० मण्डल, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक